


बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विषय: संवेदक, रविन्द्र कुमार रौशन, ग्राम-महिषाम, पोस्ट+थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी (निबंधन संख्या-262/2019, Class-II) के निबंधन को विभागीय आदेश पत्रांक-1766, दिनांक-19.11.25 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दि०-06.01.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के संबंध में।

आदेश

1. प्रस्तुत मामला लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अन्तर्गत आमंत्रित ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2023-24 (R1) ग्रुप सं०-01 एवं 02 में प्रयुक्त दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 'क' की उपकंडिका-(VII) के आलोक में श्री रविन्द्र कुमार रौशन (सूचीबद्धता संख्या-262/2019, Class-II) को विभागीय आदेश ज्ञापांक-1766, दि०-19.11.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने से संबंधित है।
2. उक्त कालीकरण के विरुद्ध संवेदक द्वारा दि०-06.01.2026 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए निर्गत कालीकरण आदेश को विलोपित करने का अनुरोध किया गया। संवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किया गया है कि यह प्रकरण Bona fide Human Error के श्रेणी में आता है तथा कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है एवं दण्ड कठोर है। उक्त से स्पष्ट है कि संवेदक के द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत आचरण एवं कागजात का उपयोग किया गया है।
3. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 घ में उल्लेखित है कि दिये गये दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि दि०-19.11.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि दि०-06.01.2026 है।
4. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक को दिये गये दण्ड के विरुद्ध दायर अपील कालबाधित (Time Barred) है। इनके द्वारा Condonation of delay के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र निविदा में Upload करने संबंधी गलती स्वीकार किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक संवेदक, श्री रविन्द्र कुमार रौशन (सूचीबद्धता संख्या-262/2019, Class-II) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-1766, दि०-19.11.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए की गई कालीकृत (Blacklist) आदेश को यथावत रखा जाता है।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक-12/वि0-167/2024- 581

पटना, दिनांक- 10.4.26

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/18/04/2026

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पटना, दिनांक- 10.4.26

ज्ञापांक-12/वि0-167/2024- 581

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

3/11/18/04/2026

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पटना, दिनांक- 10.4.26

Speed Post

ज्ञापांक-12/वि0-167/2024- 581

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी/रविन्द्र कुमार रौशन, ग्राम-महिषाम, पोस्ट+थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी (निबंधन संख्या-262/2019, Class-II) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/18/04/2026

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पटना, दिनांक- 10.4.26

ज्ञापांक-12/वि0-167/2024- 581

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/18/04/2026

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)